न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 32 सन 2019

अनवान :–

1. रामसिह पुत्र बलवीरसिह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. बलवीरसिह पुत्र हसंराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र बलवीरसिह जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 11 केएन 47/46 के प0न0 321/369(21) के किला न0 16 ता 25 /2.4780हैक प0न0 321/370(2) के किला न0 1 ता 8 ,10 ता 20 व 25/4.9820हैक प0न0 0 मु0न0 62/4 की किला न0 0 की 0.2780हैक गै0मु0खाला प0न0 0 मु0न0 63/4 के किला न0 0 की 0.1260हैक गै0मु0रास्ता कुल 7.8640हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 77/75 के प0न0 320/370(65) के किला न0 3 ता 8 ,13 ता 18 ,23 व 24 /3.5420हैक वं प0न0 320/371(90) के किला न0 3 ,4/0.506हैक कुल तादादी 4.0480हैक भूमि जो पूर्व में हसराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 77/75 की कुल 4.0480हैक एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 47/46 की कुल तादादी 7.8640हैक भूमि यानि दोनो खातों की भूमि में सयुक्त तोर से 2/7 हिस्सा भूमि आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने स्वीकार किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की

जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 77/75 की कुल 4.0480हैक एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 47/46 की कुल 7.8640हैक भूमि में यानी दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज 2/7 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामसिह पुत्र बलवीरसिह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1 बलवीरसिह पुत्र हसंराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
2 रामकुमार पुत्र बलवीरसिह जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर।
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 32 सन 2019 निर्णय दिनांक– 18.02.2019

आज यह वाद मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 77/75 की कुल 4.0480हैक एवं रोही मौजा चक 11 केएनएन के खाता संख्या 47/46 की कुल 7.8640हैक भूमि में यानी दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज 2/7 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

Saidy

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते